

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 12(1)शिक्षा/गुप-3/2024-03349

जयपुर, दिनांक:-06.02.2024

—:आदेश:—

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(2)कार्मिक/क-2/88पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए रिक्तियों का प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इसी तर्ज पर राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय की अनुपालना में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-प्रथम

Signature valid



Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.02.06 12:17:32 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4) अकाद/आकाशि/G-R 30%/2024-03207

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने बाबत।

संदर्भ:- उप शासन सचिव-प्रथम का आदेश क्रमांक प. 12(1)शिक्षा/गुप-3/2024-03349/RajKaj Ref 5524500 दिनांक 06.02.2024।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
9. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. प्रभारी, आई.टी. सेल, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

(गोपाल राम बिरड़ा)
अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज.

Signature valid

RajKaj Ref
5569532



Digitally signed by Gopal Ram Birda
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2024.02.08 17:50:34 IST
Reason: Approved